न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
23 / 2018 प्रा.पत्र / 2018	03.04.2018	21.03.2025

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक राज0।

.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री चॉदमल साहू पुत्र श्री रामेश्वर साहू निवासी पॉच बत्ती टोंक जिला टोंक मैसर्स रामेश्वर नमकीन एण्ड स्वीट्स सेन्टर पॉच बत्ती टोंक जिला टोंक राज0। पिनकोड–304001
2–मैसर्स रामेश्वर नमकीन एण्ड स्वीट्स सेन्टर पॉच बत्ती टोंक जिला टोंक।

.....अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार।
2–अभिभाषक अप्रार्थी श्री कैलाश चन्द शर्मा उप.।

:–निर्णय–: दिनांक 21/3/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 11.10.2017 को समय 11:30 ए.एम. पर मैसर्स रामेश्वर नमकीन एण्ड स्वीट्स सेन्टर पॉच बत्ती टोंक जिला टोंक पर पहुंचा। वहॉ पर एफ.बी.ओ. एवं प्रोपरायटर की हैसियत से श्री चॉदमल साहू पुत्र श्री रामेश्वर साहू अपने प्रतिष्ठान मैसर्स रामेश्वर नमकीन एण्ड स्वीट्स सेन्टर पॉच बत्ती टोंक जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ मिठाई नमकीन व अन्य खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री चॉदमल साहू पुत्र श्री रामेश्वर साहू को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री चॉदमल साहू पुत्र श्री रामेश्वर साहू ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान के गोदाम में स्टील की एक ट्रे व परात में लगभग 150 किलोग्राम **मावा (खोया)** रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

चॉदमल साहू पुत्र श्री रामेश्वर साहू को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री चॉदमल साहू पुत्र श्री रामेश्वर साहू व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये व हस्ताक्षर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि दुकान में स्टील की 1 ट्रे व परात में रखे लगभग 150 किलोग्राम **मावा (खोया)** में से 1 किलोग्राम मावा वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, जिसकी कीमत विक्रता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **मावा (खोया)** कुल मात्रा 1 किलोग्राम को बराबर–बराबर चार भाग तैयार कर, प्रत्येक भाग को चार साफ व सूखी शिशियों में 250–250 ग्राम भरकर प्रत्येक शिशी मे 40 प्रतिशत फार्मेलिन की 20–20 बूंदे डालकर , शिशियों के ढक्कन को अच्छी तरह नियमानुसार एयरटाईट कर बन्द कर, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–1771 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–1771 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/17/4669 दिनांक 21.11.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्य एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/720/एक्ट/2017/720 दिनांक 23.11.2017 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **मावा (खोया)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के विरूद्ध धारा 46(4) के तहत समयावधि में अप्रार्थी ने पुनः नमूना

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

जॉच हेतु अपील दायर की जिस पर उक्त नमूना पुनः जांच हेतु निदेशक रेफरल फूड लेब मैसूर में भिजवाया गया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/18/625 दिनांक 13.03.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि निदेशक रेफरल फूड लेब मैसूर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सर्टिफिकेट नं0 एफटी /एक्यूसीएल/एफएसएसए(102एफ)/2018 दिनांक 23.02.2018 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **मावा (खोया)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zx) के अनुसार **जांच योग्य नहीं (Not Fit for Analysis)** पाया गया । अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थी श्री कैलाश चन्द शर्मा उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिये गये नमूने को विधि अनुरूप संरक्षित नहीं रखे जाने की वजह से उक्त नमूने की जांच पुनः रैफरल फूड लेबोरेट्री मैसूर में नहीं हो सकी और इस तरह आवेदक की उपेक्षा एवं लापरवाही के चलते अप्रार्थी अपने वैधानिक अधिकार से वंचित रह गया जबकि नमूने की पुनः जांच का अधिकार अप्रार्थी को है। अतः प्रकरण को खारिज किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **मावा (खोया)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है एवं मावे में कुछ ऐसा पदार्थ मिलाया गया है जिससे वह जल्दी खराब हुआ है। अप्रार्थी द्वारा किया गया अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावें।

हमने अभिभाषक अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **मावा (खोया)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

10,000/– (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के तहत जांच हेतु लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूने को उक्त अधिनियम में निर्धारित समयावधि तक पूर्णरूप से परिरक्षित रखा जावें। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21/3/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सौंकरिया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0